



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या- प0नि0 30-95/2026.....

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
-सह-जिला दंडाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक-8.9.26

विषय :- वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जनसंख्या Enumeration Block की चौहद्दी आयोग के मोबाईल ऐप पर अंकित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- आयोग के पत्रांक-3480, दिनांक-28.08.2026

महाशय,

उपयुक्त विषयक पंचायतों के परिसीमन के निमित्त वर्ष 2011 की जनगणना के Enumeration Block की चौहद्दी के 09 बिन्दुओं (North, South, East, West, North East, North West, South East, South West & Centre) की प्रविष्टि आयोग के पोर्टल पर मोबाईल ऐप के माध्यम से प्रखंड लॉगिन से की जा रही है। उक्त कार्य से संबंधित डाटा प्रविष्टि का कार्य दिनांक-10.09.2026 तक पूर्ण किया जाना है।

उक्त कार्य के ससमय एवं त्रुटिरहित निष्पादन हेतु दिनांक-05.09.2026 को आयोग स्तर से आहूत समीक्षा बैठक के क्रम में विभिन्न जिलों को समीक्षोपरांत कतिपय निर्देश दिये गए। समीक्षा के क्रम में कई जिलों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना संबंधी कई Enumeration Block जो किसी राजस्व ग्राम से संबद्ध प्रदर्शित हो रहे हैं उस Enumeration Block के 9 बिन्दुओं की प्रविष्टि के क्रम में उसकी सीमा उस राजस्व ग्राम की सीमा के बाहर प्रदर्शित हो रही है। उक्त विसंगति को दृष्टिगत निम्न कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है:-

(क) आयोग के एप्लिकेशन पर यदि किसी राजस्व ग्राम के Enumeration Block के 9 बिन्दुओं की प्रविष्टि के क्रम में उक्त बिन्दुओं का अक्षांश एवं देशान्तर (विशेषकर मध्य बिन्दु) उस राजस्व ग्राम के बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं तो वैसे Enumeration Block की वास्तविक अवस्थिति का पता अंचल कार्यालय में संधारित राजस्व अभिलेख (खाता, खेसरा एवं मौजा) के आधार पर क्षेत्र सत्यापन द्वारा किया जाए।

(ख) क्षेत्र सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, अंचल अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के साथ किया जाए।

(ग) सत्यापन के क्रम में यदि वास्तव में वह Enumeration Block अन्य राजस्व ग्राम का भाग निर्धारित होता है तो राजस्व अभिलेखों के साक्ष्य सहित अपर समाहर्ता से भौतिक सत्यापन उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए।

(घ) यदि भौतिक सत्यापन के क्रम में वास्तविक रूप से वह क्षेत्र संबंधित राजस्व ग्राम के बाहर अर्थात् किसी अन्य राजस्व में अवस्थित है, वैसे स्थिति में वह क्षेत्र जिस राजस्व ग्राम में अवस्थित है उस राजस्व ग्राम की वास्तविक संदर्भ में पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में भी आयोग को अवगत कराया जाना है।



उपरोक्त के संबंध में निदेशानुसार अनुरोध है कि तत्संबंधी विसंगति से संबंधित प्रतिवेदन साक्ष्य सहित अविलंब आयोग को उपलब्ध कराया जाए ताकि उस Enumeration Block की चौहद्दी के प्रविष्टि के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सके।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

संचिका सं०—प.नि. 30-95/2026 3656

दिनांक:— 8.9.26

संयुक्त निवाचन आयोग।

प्रतिलिपि:— सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

